

पत्रावली पेश हुई / पीठासीन अधिकारी

परिवृत्त होने से

दिनांक 12/9/14 को पेश हो।

४

भाजा है

12/9/14

पत्रावली पेश हुई / पीठासीन अधिकारी

परिवृत्त होने से

दिनांक 10/10/14 को पेश हो।

४

भाजा है

10/10/14

पत्रावली पेश हुई / पीठासीन अधिकारी

राज्य कार्य में व्यवस्थित होने से

दिनांक 10/10/14 को पेश हो।

४

भाजा है

10/11/15

बकुलाय पक्षकारान उपस्थित / पीठासीन अधिकारी जनसुनवाई में होने से प्रकरण दि. 5/5/15 को पेश हो।

4/11/15 पत्रावली उच्च राजस्व लोक अदालत क्रिम्य कोर्ट कार्यालय में पेश हुई। उक्त में सम्बन्धित मूलवाद का निस्तारण हो चुका है। अतः उक्त उक्त में कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाने से उक्त की कार्यवाही वही स्तर पर शेष ही जाती है। पत्रावली फैलल अकार है।

निर्णय सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी
कोटड़ा (जिला उदयपुर)